
31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए
हिमाचल प्रदेश राज्य से सम्बन्धित
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का सारांश

प्रस्तावना

यह सारांश 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राज्य के वित्त, सिविल, राजस्व प्राप्तियां तथा वाणिज्यिक) के महत्वपूर्ण विषयों की झलक प्रस्तुत करता है। इन प्रतिवेदनों में हिमाचल प्रदेश सरकार, सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष सम्मिलित हैं। अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियां, जो इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हैं, उनके निपटान हेतु सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों और कार्यालयाध्यक्षों के साथ मामला उठाया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई बातों के साथ-साथ लेखाओं पर अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल को भेजते हैं, जो उन्हें विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं।

राज्य सरकार के लेन-देनों पर विधानसभा को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों राज्य के वित्त, सिविल तथा राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति और वाणिज्यिक प्रतिवेदन के मामले में लोक उपक्रमों की समिति को भेजा जाता है। सरकारी विभागों को सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों तथा समीक्षाओं पर की गई टिप्पणियों को लेखापरीक्षा से विधिवत् पड़ताल करवाकर सम्बन्धित समितियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। समिति कुछ परिच्छेदों/समीक्षाओं को विस्तृत जांच हेतु चयन करती हैं तथा इसके उपरान्त उन पर अपनी टिप्पणियों तथा सिफारिशों से अन्तर्विष्ट प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों/समीक्षाओं के प्रारूप सदैव सम्बन्धित विभाग के प्रधान सचिव को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किए जाते हैं ताकि उन्हें राज्य विधानसभा को प्रस्तुत करने से पूर्व उन पर सरकार के विचार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जा सकें। वित्त विभाग ने निर्धारित किया है कि प्रारूप परिच्छेदों का निपटान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और सम्बन्धित विभाग की टिप्पणियां लेखापरीक्षा को छः सप्ताह की अवधि के भीतर सूचित की जानी चाहिए। तथापि, अधिकांश मामलों में विभागों ने प्रारूप परिच्छेदों पर निर्धारित समय में टिप्पणियां प्रस्तुत करने में प्रावधान का पालन नहीं किया।

इस सारांश में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अधिक महत्वपूर्ण मामलों का केवल सारांशित विवरण सम्मिलित है। यद्यपि हमारा यह प्रयास रहा है कि इस प्रलेख का सारांश जहां तक सम्भव हो, मूल प्रतिवेदनों जैसा हो तथापि तथ्यों तथा आंकड़ों की प्रमाणिकता हेतु मूल प्रतिवेदनों का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण हेतु सम्पर्क किए जाने वाले अधिकारियों के नाम और दूरभाष संख्या इस सारांश के पिछले कवर के भीतर के पृष्ठ पर दिए गए हैं।

विषय सूची

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य के वित्त	1
2.	सिविल	5
3.	राजस्व प्राप्तियां	12
4.	वाणिज्यिक	16

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹करोड़)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	6,559	7,835	9,142	9,308	10,346
(i) कर राजस्व	1,497 (23)	1,656 (21)	1,958 (21)	2,242 (24)	2,574 (25)
कृषि आय पर कर	—	—	—	—	—
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	727 (49)	914 (55)	1,092 (56)	1,246 (56)	1,487 (58)
राज्य आबकारी	329 (22)	342 (21)	389 (20)	432 (19)	500 (19)
वाहन कर	102 (7)	106 (6)	114 (6)	136 (6)	134 (5)
स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	82 (5)	93 (6)	87 (4)	98 (4)	113 (4)
विद्युत कर एवं शुल्क	89 (6)	30 (2)	82 (4)	79 (4)	39 (2)
भू-राजस्व	1 (—)	2 (—)	2 (—)	20 (1)	15 (1)
माल व यात्री कर	43 (3)	50 (3)	55 (3)	62 (3)	89 (3)
अन्य कर	124 (8)	119 (7)	137 (7)	169 (7)	197 (8)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	690 (11)	1,337 (17)	1,823 (20)	1,756 (19)	1,784 (17)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	493 (7)	629 (8)	794 (9)	838 (9)	862 (8)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	3,879 (59)	4,213 (54)	4,567 (50)	4,472 (48)	5,126 (50)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	—	—	—	—	—
3. ऋण व अग्रिमों की वसूलियां	22	23	26	21	34
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	6,581	7,858	9,168	9,329	10,380
5. लोक ऋण प्राप्तियां	1,781	2,080	1,849	2,249	2,553*
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,753 (98)	2,042 (98)	1,798 (97)	2,237 (99)	2,484* (97)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	—	—	—	—	—
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	28 (2)	38 (2)	51 (3)	12 (1)	69 (3)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	8,362	9,938	11,017	11,578	12,933*
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	—	—	—	—	—
8. लोक लेखा प्राप्तियां	4,933	5,265	6,223	6,760	6,821

* गत वर्षों के गलत वर्गीकरण से सम्बन्धित बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	13,295	15,203	17,240	18,338	19,754
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	6,466	7,644	8,292	9,438	11,151*
योजनागत	1,182 (18)	1,325 (17)	1,202 (14)	877 (9)	1,238(11)
आयोजनेतर	5,284 (82)	6,319 (83)	7,090 (86)	8,561 (91)	9,913* (89)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	2,818 (43)	3,300 (43)	3,429 (41)	3,918 (42)	4,377(39)
सामाजिक सेवाएं	2,309 (36)	2,586 (34)	2,876 (35)	3,332 (35)	3,902(35)
आर्थिक सेवाएं	1,333 (21)	1,755 (23)	1,984 (24)	2,184 (23)	2,868* (26)
सहायता अनुदान व अंशदान	6 (—)	3 (—)	3 (—)	4 (—)	4 (—)
11. पूंजीगत व्यय	821	1,110	1,414	2,079	1,943
योजनागत	820 (100)	1,043 (94)	1,313 (93)	1,992 (96)	1,895(98)
आयोजनेतर	1 (—)	67 (6)	101 (7)	87 (4)	48(2)
सामान्य सेवाएं	52 (6)	61 (5)	59 (4)	64 (3)	63(3)
सामाजिक सेवाएं	369 (45)	575 (52)	586 (42)	833 (40)	610(31)
आर्थिक सेवाएं	400 (49)	474 (43)	769 (54)	1,182 (57)	1,270(65)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	14	26	14	90	70
13. जोड़ (10+11+12)	7,301	8,780	9,720	11,607	13,164
14. लोक ऋण की चुकौतियां	1,308	1,311	937	885	867
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1219 (93)	1,182 (90)	839	829	811
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	23 (2)	—	42	—	—
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	66 (5)	129 (10)	56	56	56
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	—	—	—	—	—
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	8,609	10,091	10,657	12,492	14,031
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	—	—	—	—	—
18. लोक लेखा संवितरण	4,387	5,370	5,737	5,690	6,421
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	12,996	15,461	16,394	18,182	20,452
भाग ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/ राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(+) 93	(+) 191	(+) 850	(-) 130	(-) 805*

* गत वर्षों के गलत वर्गीकरण से सम्बन्धित बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 720	(-) 922	(-) 552	(-) 2,278	(-) 2,784
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(+) 843	(+) 747	(+) 1,151	(-) 384	(-) 828
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,563	1,669	1,703	1,894	1,956
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	380	399	467	582	718
25. प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष (दिवस)	13	01	—	—	—
प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	13	01	—	—	—
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष (दिवस)	—	—	—	—	—
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	0.32	0.89	—	—	—
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद [®]	25,685 (11.35)	28,591 (11.31)	32,221 (12.70)	36,924 (14.60)	42,278 (14.50)
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	17,432	18,071	19,419	21,819	23,713
29. बकाया गारंटियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	3,587	2,976	2,632	2,291	1,949
30. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	5,526	6,347	6,450	6,076	4,361
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	15	30	20	17	29
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	25	160	121	96	108
भाग ड: राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.03	0.05	0.06	0.05	0.04
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.28	0.31	0.30	0.31	0.31
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.11	1.12	1.06	1.25	1.27
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.89	0.87	0.85	0.81	0.85
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.37	0.36	0.36	0.36	0.34
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.24	0.25	0.28	0.29	0.31
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.13	0.15	0.18	0.15

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.12	0.14	0.17	0.14
III राजकोषीय असंतुलों का प्रबन्धन (प्रतिशत में)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.36	0.67	2.64	(-) 0.35	(-) 1.90
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.80	(-) 3.22	(-) 1.71	(-) 6.17	(-) 6.58
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.28	2.61	3.57	(-) 1.04	(-) 1.96
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(-) 5.71	(-) 28.92
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	—	—	0.284	0.247	0.241
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबन्धन					
राजकोषीय दायित्वों/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.68	0.63	0.60	0.59	0.56
राजकोषीय दायित्वों/राजस्व प्राप्ति	2.66	2.31	2.12	2.34	2.29
प्रमात्रा विस्तार के प्रति प्राथमिक घाटा	4.153	2.223	1.741	(-) 0.364	(-) 0.591
ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	1.18	1.27	1.02	0.92	0.94
V अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	28.61	1.80	0.52	89.58	73.49
चालू राजस्व से शेष (₹करोड़)	(-) 191	(-) 281	(+) 113	(-) 1,423	(-) 2,642
वित्तीय परिसम्पत्तियों/दायित्वों	0.54	0.57	0.60	0.68	0.67
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
राजस्व व्यय (₹करोड़)	6,466	7,644	8,292	9,438	11,151*
वृद्धि दर (प्रतिशत) राजस्व व्यय	11.62	18.22	8.48	13.82	18.15
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹करोड़)	5,284	6,319	7,090	8,561	9,913*
वृद्धि दर (प्रतिशत) आयोजनेतर राजस्व व्यय	9.74	19.59	12.20	20.75	15.79
योजनागत राजस्व व्यय (₹करोड़)	1,182	1,325	1,202	877	1,238
वृद्धि दर (प्रतिशत) योजनागत राजस्व व्यय	20.86	12.10	(-) 9.28	(-) 27.04	41.16
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.57	22.10	22.00	23.18	23.45
राजस्व व्यय/कुल व्यय* (प्रतिशत)	88.73	87.32	85.43	81.95	85.16
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	72.37	71.97	72.94	73.76	75.30
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	80.56	80.65	77.55	91.97	95.81

* गत वर्षों के गलत वर्गीकरण से सम्बन्धित बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

* कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित नहीं हैं।

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	81.72	82.67	85.50	90.70	88.90
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	18.28	17.33	14.50	9.30	11.10
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.02	1.61	0.67	0.95	1.25
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.28	0.94	0.51	7.59	1.63
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	1.19	0.93	0.70	0.67	1.15
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	0.56	1.51	(-) 0.91	(-) 0.51	0.44

कोष्ठकों के आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के जोड़ की प्रतिशतताओं (पूर्णांक) को दर्शाते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य के वित्त)

केन्द्र स्तर तक राज्य के वित्त को लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के वित्त पर एक पृथक् एकाकी प्रतिवेदन को इस चुनौती के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रत्युत्तर को स्वीकार करते हुए तैयार किया गया है। 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान की गई है। प्रतिवेदन की रचना तीन अध्यायों में की गई है अर्थात् 'राज्य सरकार के वित्त', 'वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण' तथा 'वित्तीय सूचना'।

राज्य सरकार के वित्त

राज्य सरकार के वित्त लेखे उपयुक्त वर्गीकरणों के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा व्यय दोनों से सम्बन्धित सभी लेन-देनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। सरकारी लेखों में सभी लेन-देनों के सारांश के अतिरिक्त वित्त लेखों में (क) ऋण स्थिति का सारांश, (ख) राज्य सरकार के ऋण तथा अग्रिम, (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां तथा (घ) बकायों के सारांश सम्मिलित हैं। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्नवत् हैं:

वित्त लेखों का सारांश

(₹ करोड़)

2008-09	प्राप्तियां	2009-10	2008-09	संवितरण	2009-10		
प्रवर्ग-क: राजस्व					गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़
9,308	राजस्व प्राप्तियां	10,346	9,438	राजस्व व्यय	9,913*	1,238	11,151*
2,242	कर राजस्व	2,574	3,918	सामान्य सेवाएं	4,335	42	4,377
1,756	कर-भिन्न राजस्व	1,784	3,332	सामाजिक सेवाएं	3,307	595	3,902
838	संघीय करों/शुल्कों का भाग	862	2,184	आर्थिक सेवाएं	2,267	601	2,868*
4,472	भारत सरकार से अनुदान	5,126	4	सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	—	4
प्रवर्ग-ख: पूंजीगत							
—	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	—	2079	पूंजीगत परिव्यय	48	1,895	1,943
21	ऋणों एवं अग्रिमों की वसुलियां	34	90	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	3	67	70
2,249	लोक ऋण प्राप्तियां	2,553*	885	लोक ऋण की चुकौती	—	—	867
—	आकस्मिकता निधि	—	—	आकस्मिकता निधि	—	—	—
6,760	लोक लेखा प्राप्तियां	6,821	5,690	लोक लेखा संवितरण	—	—	6,421
823	अथ रोकड़ शेष	979	979	अन्त रोकड़ शेष	—	—	281
19,161	योग	20,733	19,161	योग	—	—	20,733

* गत वर्षों के गलत वर्गीकरण से सम्बन्धित बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

केन्द्रीय अंतरणों पर निर्भरता	2009-2010 के दौरान केन्द्रीय कर अंतरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 58 प्रतिशत था।
राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि	राज्य की राजकोषीय देयताएं 2005-2006 में ₹17,432 करोड़ से बढ़कर 2009-2010 में ₹23,713 करोड़ (36.03 प्रतिशत) हो गई। ये देयताएं 2009-2010 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 56 प्रतिशत तक थी तथा उच्च स्तर पर रही, विशेषतया जब इसकी तुलना बारहवें वित्त आयोग के मार्च 2009 तक प्राप्त किये जाने वाले 31 प्रतिशत के मानकों के साथ की जाती है।
निधियों का उपयोग मुख्यतः राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया	कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रधान हिस्सा था। राज्य का राजस्व व्यय 2008-2009 में ₹9,438 करोड़ से 2009-10 में ₹11,151 करोड़* तक 18 प्रतिशत बढ़ गया।
अविकासात्मक व्यय एवं ब्याज की अदायगियां	सामान्य सेवाओं तथा ब्याज अदायगियों पर व्यय, जिसे अविकासात्मक व्यय के रूप में लिया गया, साथ-साथ बराबर घटकर 2005-06 में 39.31 प्रतिशत से 2009-10 में 33.73 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित ब्याज अदायगियां 19 प्रतिशत थी जो बारहवें वित्तायोग द्वारा की गई सिफारिश 15 प्रतिशत मानकों से अधिक थी जिन्हें प्रदत्त अवधि के दौरान प्राप्त किया जाना था।
वेतन तथा पेंशन पर अधिक व्यय	2009-2010 के दौरान वेतन तथा मजदूरी पर ₹4,788 करोड़ का व्यय राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय शुद्धि पथ में प्रक्षिप्त (₹2,811 करोड़) से ₹1,977 करोड़ (70 प्रतिशत) अधिक था। वेतन व्यय राजस्व व्यय, निवल ब्याज तथा पेंशन अदायगियों का 61 प्रतिशत है जो बारहवें वित्तायोग द्वारा की गई सिफारिश 35 प्रतिशत के मानक से बहुत ज्यादा है। पेंशन भुगतान 2005-2006 में ₹670 करोड़ से 2009-2010 में 101 प्रतिशत बढ़कर ₹1,348 करोड़ तथा चालू वर्ष के दौरान ₹194 करोड़ हो गया, गत वर्ष की अपेक्षा इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई।
निवेशों से नगण्य प्रतिफल	सरकार ने वर्ष 2009-2010 के अंत तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹2,663 करोड़ का निवेश किया था। जबकि सरकार ने वर्ष 2005-2010 के दौरान बाजार से 8.59 तथा 9.40 प्रतिशत के मध्य परिवर्ती औसत ब्याज दर से उच्च लागत पर उधार लिए थे, इसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिफल 1.65 प्रतिशत के लगभग था।

* गत वर्षों के गलत वर्गीकरण से सम्बन्धित बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत लक्षित प्राप्ति के प्रति सरकार को 3.5 प्रतिशत ब्याज प्राप्तियों से प्रतिफल 2009-10 के दौरान बकाया ऋण के प्रति प्रतिशतता के रूप में प्राप्त हुआ। तथापि, इस अवधि के दौरान ऋणों पर नौ प्रतिशत ब्याज की अदायगी की गई।

2009-10 के दौरान राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा 1.90 तथा 6.58 प्रतिशत था जोकि बारहवें वित्तयोग द्वारा वर्ष 2008-09 हेतु किए गए प्रक्षेपणों 0 तथा 3 प्रतिशत से अधिक था।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

विनियोजन लेखों में दी गई अनुसूचियों में निर्दिष्टानुसार विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदान एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखों को विनियोजन लेखे कहते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्षणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक् रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की उन दोनों प्रभारित व दत्तमत्त मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा अधिकृत की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सुकर बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के सम्पूरक हैं।

विनियोग लेखों का सारांश

(₹करोड़)						
	व्यय प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत्त	I राजस्व	9,063.10	601.38	9,664.48	10,439.72*	(+) 775.24
	II पूंजीगत	1,895.82	319.87	2,215.69	2,030.76*	(-) 184.93
	III ऋण एवं अग्रिम	10.06	1.58	11.64	69.67	(+) 58.03
कुल दत्तमत्त		10,968.98	922.83	11,891.81	12,540.15	(+) 648.34
प्रभारित	IV राजस्व	2,067.04	6.81	2,073.85	1,980.62	(-) 93.23
	V पूंजीगत	—	12.31	12.31	12.45	(+) 0.14
	VI लोक ऋण- चुकौती	980.73	—	980.73	866.80	(-) 113.93
कुल प्रभारित		3,047.77	19.12	3,066.89	2,859.87	(-) 207.02
आकस्मिकता निधि (यदि कोई है) को विनियोजन		—	—	—	—	—
सकल जोड़		14,016.75	941.95	14,958.70	15,400.02	(+) 441.32

* ये अनुदान संख्या 10,13 व 31 जिनमें कुछ उच्चत शीर्षों को खोला गया है को छोड़कर सकल आंकड़े हैं।

बचत/आधिक्य	₹441.32 करोड़ का समग्र आधिक्य 22 मामलों में आधिक्यों (₹887.80 करोड़) तथा 43 मामलों में बचतों (₹446.48 करोड़) का परिणाम था।
अधिक व्यय को नियमित न करवाना	सरकार द्वारा 2007-2010 के दौरान विधानसभा द्वारा संस्वीकृत राशि से अधिक किये गये ₹1,989.26 करोड़ के व्यय को सितम्बर 2010 तक नियमित किया जाना अपेक्षित था।
अनुपूरक अनुदान	पांच मामलों में प्राप्त किया गया ₹13.55 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल बजट प्रावधानों से कम था।
विवेकहीन पुनर्विनियोजन	विवेकहीन पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा जिसके कारण 140 उप-शीर्षों में ₹10 लाख से अधिक की बचत/आधिक्य हुआ। 35 उप-शीर्षों में आधिक्य/बचतें ₹दो करोड़ से अधिक थी। इनमें से तीन उप-शीर्षों में बचतें/व्यय ₹25 करोड़ तथा इससे ऊपर बढ़ गया।

वित्तीय सूचना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति को उपलब्ध करवाता है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	मार्च 2010 तक विभिन्न विभागों से अनुदानों तथा ऋणों से सम्बन्धित ₹829.48 करोड़ के देय उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार को भेजे जाने शेष थे; इसमें ₹23.95 करोड़ के 199 उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्मिलित थे जोकि पांच वर्षों से अधिक से बकाया पड़े हुए हैं।
दुर्विनियोजन, हानियां, चूकें इत्यादि के बकाया मामले	एक वर्ष से 25 वर्षों तथा इससे अधिक समय के दौरान ₹76.92 लाख से अंतर्ग्रस्त 50 मामलों में से ₹49.20 लाख (64 प्रतिशत) से अन्तर्ग्रस्त 23 मामलों में विभागीय प्रक्रिया तथा अपराधिक जांच भी आरम्भ नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं जिनमें दो निष्पादन समीक्षाएं, एक विषयक समीक्षा, विभाग की एक एकीकृत लेखापरीक्षा तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के लेन-देनों तथा लेखों की नमूना लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों के 24 परिच्छेद सम्मिलित हैं।

मुख्य-मुख्य बातें:

- 2005-10 अवधि को आवृत्त करते हुए राज्य उच्चमार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों के उन्नयन एवं सुधार की निष्पादन समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राज्य में एक कुशल सड़क तंत्र के विकास के लिए भविष्य की योजनाओं तथा कार्यों के लिए विभाग ने राज्य सड़क नीति नहीं बनाई थी। विभाग द्वारा अनुरक्षण के लिए निधियों का आवंटन मानदण्ड दरों पर आधारित किया गया जो जून 1997 से असंशोधित थी जिससे मजदूरी तथा सामग्री की लागतों में वृद्धि की अनदेखी रही; परिणामतः असंशोधित दरों पर उपलब्ध करवाई गई निधियां अनुरक्षण पर व्यय हेतु अपर्याप्त थी जिससे सड़कों की गुणवत्ता प्रभावित हुई। लेखापरीक्षा में राज्य उच्चमार्गों/मुख्य जिला सड़कों के लिए निधियों का अन्य कार्यों हेतु विचलन करने के दृष्टांतों का भी पता चला। सड़कों का निष्पादन तकनीकी संस्वीकृतियों के बिना किया गया। निकृष्ट संविदा प्रबन्धन तथा निर्माण कार्यों के अपर्याप्त अनुश्रवण के कारण घटिया सड़क निर्माण कार्य, सड़कों का घटिया कार्य, कार्यों की पूर्णता में विलम्ब तथा अनुचित नाली प्रणाली के कारण सड़कों को क्षतियां जैसे दृष्टांत पाए गए।
- 2005-10 के दौरान राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन की निष्पादन समीक्षा चिन्ता के क्षेत्रों तथा मामलों को उजागर करती है जिनको अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए स्थापित उद्देश्य की सफल प्राप्ति हेतु निराकरण किए जाने की आवश्यकता है। समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि योजना प्रक्रिया, विशेषतया पंचवर्षीय जिला सापेक्ष योजनाओं के बनाने में कमियां थी। जबकि लेखापरीक्षा में नमूना-जांचित जिलों में किसी भी परिवार को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार न देने का कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया, यद्यपि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने में विलम्ब के दृष्टांत पाए गए। जिला सापेक्ष योजनाओं के अभाव तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों तथा दीर्घकालीन रोजगार विकास के मध्य संयोजन को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक योजनाओं में निम्न स्तर पर समुदाय से सूचनाओं के अभाव में अनियोजित ढंग से विकासात्मक कार्यों का निष्पादन हुआ। कार्यान्वयन अभिकरणों ने कार्यों के निष्पादन में सांविधिक प्राथमिकताओं की अनदेखी की इसने निर्धनता के मामलों का निराकरण करने के लिए जल संरक्षण, सूखा प्रूफिंग, वनीकरण तथा लघु सिंचाई जैसे उच्चतम अग्रता के कार्यों को न करने से ग्रामीण आजीविका के प्राकृतिक संसाधन आधार के असुदृढीकरण को प्रभावित किया।
- भू-अधिग्रहण वाली स्कीमों की लेखापरीक्षा पर विषयक समीक्षा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार कार्यों के निष्पादनार्थ वन/निजी भूमि के अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए विभागों/सरकार की विफलता के कारण इन कार्यों को निलम्बित करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.21 करोड़ का व्यर्थ निवेश/निष्फल व्यय हुआ।

- भारतीय औषधी तथा होम्योपैथी पद्धति के विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग प्रयोगशालाओं, शल्य कक्षाओं, अस्पतालों में पृथक पुरुष/महिला वाडों जैसी पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान न करने सहित आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों, अर्धचिकित्सा स्टॉफ तथा सहायक स्टॉफ के सवर्गों में क्रमशः 14, 49 तथा 40 प्रतिशत की कमी के कारण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अपेक्षित स्तर को उपलब्ध नहीं करवा सका। विभाग के प्रयास विशेषतया केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अपर्याप्त सिद्ध हुए।

निष्पादन समीक्षाएं

लोक निर्माण विभाग

राज्य उच्चमार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों का उन्नयन एवं सुधार

मुख्य उद्देश्य

सुधार/उन्नयन तथा आवधिक अनुरक्षण के साथ कस्बों तथा शहरों के मध्य अच्छी गुणवत्ता सड़क सम्पर्कता प्रदान करना।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

कुशल सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घावधि नीति

निधियों के कुशल उपयोग हेतु पहचान की गई सड़कों के सुधार/उन्नयन के लिए एक दीर्घावधि नीति तथा एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक था।

राज्य में एक कुशल सड़क तंत्र के विकासार्थ भविष्य की योजनाओं एवं कार्यों के लिए राज्य सरकार ने एक राज्य सड़क नीति विकसित नहीं की है।

निधियों की अवप्रयुक्ति

2007-10 के दौरान हिमाचल प्रदेश सड़क तथा अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित को कुल उपलब्ध करवाई गई निधियों में से 39 से 65 प्रतिशत अप्रयुक्त रहीं।

राज्य उच्चमार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों के सुधार/उन्नयन के लिए वार्षिक लक्ष्य

2005-10 के दौरान राज्य में उपचित 25,074.630 किलोमीटर लम्बाई (राज्य उच्चमार्ग: 137.630 किलोमीटर; मुख्य जिला सड़कें: 24,937 किलोमीटर) में राज्य उच्चमार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों (ग्रामीण सड़कों सहित) के सुधार/उन्नयन के लक्ष्य के प्रति उपलब्धि 17,719.496 किलोमीटर (राज्य उच्चमार्ग: 58.496 किलोमीटर; मुख्य जिला सड़कें: 17,661 किलोमीटर) थी जिसके परिणामस्वरूप कुल कमी 29 प्रतिशत हुई। 14 नमूना-जांचित मण्डलों में कुल कमी 25 प्रतिशत थी।

कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब

सात नमूना-जांचित मण्डलों में 38 संविदाकारों को ₹8.51 करोड़ के सौंपे गए सड़क निर्माण कार्यों के 51 जॉब निर्धारित अवधि में संविदाकारों द्वारा पूर्ण नहीं किए गए। उनसे ₹91.66 लाख की क्षतिपूर्ति उद्ग्राह्य थी परन्तु केवल दो मण्डलों ने पांच मामलों में ₹56.85 लाख की क्षतिपूर्ति आरोपित की जो मार्च 2010 तक भी वसूल नहीं की गई थी।

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्यान्वयन

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन, पर्यावरण संरक्षण करना, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण करना, ग्रामीण-शहरी प्रवासन को कम करना तथा दूसरों के साथ सामाजिक समानता का पालन करने के अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मूल सिद्धांत का अभाव

पांच नमूना-जांचित जिलों में जिला सापेक्ष योजनाओं तथा वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार नहीं किया गया ताकि अग्रिम योजना की सुविधा हो सके।

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के मध्य संयोजन सुनिश्चित करने के लिए जिला सापेक्ष योजना के अभाव, दीर्घकालीन रोजगार विकास तथा वार्षिक योजनाओं में निम्न स्तर पर सूचनाओं के अभाव के कारण तदर्थ आधार पर अनियोजित ढंग से निर्माण कार्यों का निष्पादन हुआ।

कार्यों के निष्पादन में सांविधिक अग्रताओं को सुनिश्चित नहीं किया गया

कार्यान्वयन अभिकरणों ने निर्माण कार्यों के निष्पादन में सांविधिक अग्रताओं की उपेक्षा की। परिणामतः निर्माण कार्यों पर किए गए ₹1008.87 करोड़ के कुल व्यय में से ₹471.56 करोड़ (47 प्रतिशत) का व्यय सड़क निर्माण के निम्न अग्रता कार्यों से सम्बन्धित था। इसने निर्धनता के मामलों का निवारण करने के लिए जल संरक्षण, सूखा प्रूफिंग, वनीकरण तथा लघु सिंचाई जैसे उच्चतम अग्रता के निर्माण कार्यों को न करने से ग्रामीण आजीविका के प्राकृतिक संसाधन आधार के असुदृढीकरण को प्रभावित किया।

मजदूरी का भुगतान

नमूना-जांच के लिए चयनित 48 ग्राम पंचायतों में से 37 में 2008-10 के दौरान 672 उपस्थिति नामावलियों से सम्बन्धित श्रमिकों को मजदूरी (₹97.45 लाख) की समय पर अदायगी नहीं की गई। मजदूरी की अदायगी में विलम्ब 15 तथा 90 दिन के मध्य था।

अनुश्रवण तंत्र

अनुश्रवण तंत्र भी दुर्बल था क्योंकि निर्माण कार्यों के निरीक्षण तथा सतर्कता अनुश्रवण समितियों के गठन की प्रक्रिया भी सही नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इसके प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा उच्च स्तर पर अनुश्रवण भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था।

भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी पद्धति विभाग

विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

विभाग के मुख्य कार्य

राज्य के विशेषकर दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना तथा राज्य में आयुर्वेदिक अस्पतालों, औषधालयों तथा फार्मसियों को स्थापित करके सदियों पुरानी औषधि/उपचार पद्धति को लोगों में लोकप्रिय बनाना।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वास्तविक बजट प्राक्कलनों को बनाना

2005-09 के दौरान विभाग का व्यय बजटीय आबंटन से प्रतिवर्ष बढ़ रहा था जो इस बात का सूचक है कि बजट प्राक्कलनों को वास्तविक आधार पर नहीं बनाया जा रहा था।

लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

अस्पतालों तथा औषधालयों के खोलने/उन्नयन करने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी 89 प्रतिशत थी तथा राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रदान करने के लिए विभाग की विफलता को इंगित किया।

अवसंरचना की कमी

नमूना-जांचित 314 औषधालयों में से 189 औषधालयों में विद्युत और पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक 42 औषधालयों को केवल एक सहायक नर्स एवं प्रसाविका/दाई/चतुर्थ श्रेणी स्टॉफ द्वारा चलाया जा रहा था जो जरूरतमंद रोगियों को औषधियां लिखने के लिए भी अधिकृत नहीं थे।

आयुष संस्थानों के विकासार्थ केन्द्रीय सहायता की प्रयुक्ति में कमी

2007-10 के दौरान हिमाचल प्रदेश में आयुष संस्थानों के विकास के लिए भारत सरकार से कुल प्राप्त ₹37.23 करोड़ के प्रति मार्च 2010 तक ₹30.19 करोड़ अव्ययित रहे।

अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

विभाग ने विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के निष्पादन का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य देखभाल पद्धति पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किसी पद्धति को विकसित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों द्वारा औषधालयों का किया गया अनुश्रवण कम था क्योंकि 2005-10 के दौरान किए गए निरीक्षण में कमी 66 तथा 74 प्रतिशत के मध्य थी।

विषयक समीक्षा

लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

भू-अधिग्रहण वाली स्कीमें

कार्यों के निर्माण पर व्यर्थ निवेश/ निष्फल व्यय

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार सड़क, सिंचाई, जल आपूर्ति तथा मलनिकास स्कीमों जैसे कार्यों के निष्पादनार्थ वन/निजी भूमि के अधिग्रहण को सुनिश्चित न करने के कारण इन कार्यों को निलम्बित करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप ₹15.21 करोड़ का व्यर्थ निवेश/निष्फल व्यय हुआ।

लेन-देन की लेखापरीक्षा

अपव्ययी/अलाभकारी/निष्फल व्यय

प्रयोगशाला की स्थापना पर अलाभकारी व्यय

राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला (मण्डी जिला) हेतु भवन में वर्षा जल दोहन संरचनाओं के अभाव में नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग से अनुमति न मिलने के कारण ₹45.40 लाख का व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ।

बेकार स्टॉफ पर निष्फल व्यय

गहरे नलकूप सिंचाई कार्यों/स्कीमों के बेकार तकनीकी स्टॉफ/सहायकों को समायोजित/स्थानांतरित करने में कृषि विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर ₹1.12 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

महिला कर्मी छात्रावास के निर्माण पर अनुचित व्यय

चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय स्थित पालमपुर (कांगड़ा जिला) द्वारा आवश्यकता का निर्धारण किए बिना ₹1.33 करोड़ की लागत से महिला कर्मी छात्रावास भवन के निर्माण के कारण छात्रावास भवन का अभिप्रेत उद्देश्यार्थ उपयोग नहीं हुआ।

उठाऊ जलापूर्ति स्कीम पर निष्फल व्यय

ग्रेविटी मेन कार्य को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय पर पूर्ण न करने के कारण बेहना खड्ड से बड़ागांव (शिमला जिला) उठाऊ जलापूर्ति स्कीम पर ₹4.48 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, जिले के 82 घरों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य की प्राप्ति भी नहीं हुई।

सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ

संविदा अनुबन्ध की विभिन्न धाराओं के अनुसार कार्रवाई शुरू करने में लोक निर्माण विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप वांगतू से पनवी (किनौर जिला) सड़क पर ₹69.49 लाख का व्यय निष्फल हुआ तथा ठेकेदार को ₹71.37 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों को परिवहन सुविधा के लाभों से भी वंचित किया।

ग्रामीण हिमाचल भण्डारों को स्थापित करने पर निष्फल व्यय

विशेष पहाड़ी वास्तुकला को छोड़कर जैसाकि पर्यटक स्थलों तथा पर्यटक स्थलों को जाने वाली सड़कों के किनारे पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण हिमाचल भण्डारों के निर्माण तथा इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों/क्षेत्र के लोगों को उनके माध्यम से उनके उत्पादों के विपणनार्थ प्रेरित करने के लिए विभाग की असमर्थता से ₹2.92 करोड़ का व्यय अधिकतर निष्फल रहा।

ठेकेदारों को अनुचित लाभ/परिहार्य व्यय

ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ

लोक निर्माण विभाग के निरमण्ड मण्डल ने दो ठेकेदारों को सरकारी देयताओं की वसूली न करके ₹1.05 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया।

फर्म को अनुचित वित्तीय लाभ

अधिशासी अभियंता, सुन्दरनगर मण्डल द्वारा संविदात्मक प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल रहने पर दिल्ली की फर्म को ₹4.37 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त, भवन की अपूर्णता के कारण विद्यार्थियों को समय पर आधुनिक इंजीनियरिंग महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

सरकारी देयताओं की गलत संगणना तथा अवसूली

लोक निर्माण विभाग ने ₹17.76 लाख की सरकारी देयताओं की सही संगणना नहीं की तथा मई 2008 में ठेकेदार के बिल को अंतिम रूप देने के पश्चात् लगभग दो वर्षों तक उन्हें वसूल करने में विफल रहा।

व्यर्थ निवेश/निधियों का अवरोधन/निधियों का विचलन

प्रधान मंत्री विशेष पैकेज के अंतर्गत निधियों की अवप्रयुक्ति

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा कार्यों के धीमे निष्पादन के कारण विश्वविद्यालय में अवसंरचना के उन्नयनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसके द्वारा प्राप्त ₹5 करोड़ के अनुदान की अवप्रयुक्ति हुई तथा ₹4 करोड़ की अनुवर्ती किश्तें जारी नहीं हुई।

निधियों का अवरोधन

आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयनार्थ क्षेत्रीय अस्पताल, कुल्लू में ट्रोमा केन्द्र को स्थापित करने हेतु योजना में विलम्ब के कारण दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सेवाएं न देने के अतिरिक्त गत चार वर्षों तक ₹1.50 करोड़ का अवरोधन हुआ।

प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण पर अनुत्पादक निवेश	ग्राम पंचायत दियोठी (शिमला जिला) में प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण हेतु सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की निकृष्ट योजना तथा निरूत्साह दृष्टिकोण के कारण ₹35.82 लाख का अनुत्पादक निवेश हुआ।
सामग्री के अनुचित प्रापण से निधियों का अवरोधन	एक से सात वर्षों तक की अवधि हेतु डलहौजी तथा चवाड़ी नगरों (चम्बा जिला) में दो मलनिकास स्कीमों के लिए प्राप्त सामग्रियों की अप्रयुक्ति के कारण ₹2.30 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ तथा नगरों के निवासियों को, जिनके लिए बहुत पहले मार्च 1996 में मलनिकास स्कीमों को स्वीकृत किया गया था, 14 वर्षों के पश्चात् भी मलनिकास सुविधा से निरन्तर वंचित रहना पड़ा।
उठाऊ जलापूर्ति स्कीम पर व्यर्थ निवेश	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाऊ जलापूर्ति स्कीम हरबोई (मण्डी जिला) हेतु विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित न करने के कारण ₹79.80 लाख का निवेश व्यर्थ हुआ।
सैक्टरल विकेन्द्रित योजना निधियों का विचलन	सैक्टरल विकेन्द्रित योजना के अन्तर्गत कार्य हेतु रखे गए ₹दो करोड़ का सलाहकार, योजना द्वारा अनियमित रूप से सहायता अनुदान के रूप में डा० यशवन्त सिंह परमार विश्वविद्यालय, बागवानी एवं वानिकी, नौणी (सोलन जिला) को विचलन किया गया जिसमें से ₹1.40 करोड़ कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों की अवहेलना में बैंक लेखों में अवरूद्ध रहे।
राष्ट्रीय सम विकास योजना निधियों का विचलन	राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत ₹1.48 करोड़ की निधियों का स्कीम के प्रावधानों के उल्लंघन में उपायुक्त, चम्बा द्वारा विचलन किया गया।
शहरी निर्धनों हेतु आवासीय स्कीम की निधियों का अवरोधन	शहरी विकास विभाग ने शहरी निर्धनों के लिए आवासीय स्कीम 'आशियाना' हेतु उपयुक्त कार्यस्थल की व्यवस्था न करने के कारण हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, शिमला के पास ₹1.98 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

नियमितता मामले तथा अन्य विषय

छात्राओं से ट्यूशन फीस का अनियमित प्रभारित करना	प्रधानाचार्य, सेण्ट बीडस महाविद्यालय, शिमला द्वारा 1996-97 से 2009-10 के दौरान छात्राओं से ट्यूशन फीस के रूप में ₹65.92 लाख प्रभारित करना राज्य सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन था और अभिप्रेत लाभों से लाभार्थी छात्राओं को वंचित रखा गया।
निधियों की अनियमित स्वीकृति	उपायुक्त, बिलासपुर द्वारा कामधेनु हितकारी मंच, नम्होल को ₹36.53 लाख जारी करना विकास में जन सहयोग स्कीम के कार्यान्वयनार्थ दिशा-निर्देशों के विपरीत था।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां)

परिचय

गवर्नेस की गुणवत्ता में श्रेष्ठता को प्रोन्नत करने के लिए हमारा संविधान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संस्था के माध्यम से कार्यपालिका का विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायित्व की रूपरेखा उपलब्ध करवाता है। भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस उत्तरदायित्व का निर्वहन सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा करके तथा विधान मण्डल को मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रतिवेदित करके करता है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तों) के अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह खण्ड 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित है।

इस प्रतिवेदन में ₹1,420.98 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले कर, शुल्क, रॉयल्टी, फीस, ब्याज तथा शास्ति के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण पर विभिन्न विभागों के कार्यचालन पर दो समीक्षाएं तथा अन्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इसमें से सरकार/विभाग ने ₹829.55 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की थी जिसमें से ₹3.81 करोड़ की राशि लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूल कर ली गई।

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2009-10 के लिए राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां ₹10,346.36 करोड़ थीं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अपने संसाधनों के माध्यम से जुटाया गया राजस्व ₹4,358.18 करोड़ था जिसको कुल राजस्व के 42 प्रतिशत के रूप में लेखाबद्ध किया गया था। शेष 58 प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदान तथा विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध आय का राज्यांश के रूप में प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

परिवहन विभाग

'मोटर वाहन कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण' पर समीक्षा

एप्लीकेशन/सामान्य विभाग ने दो सॉफ्टवेयर; एक वाहनों के पंजीकरण हेतु है जिसे 'वाहन' के नाम से नियंत्रणों के कार्यान्वयन जाना जाता है तथा दूसरा चालक लाइसेंस जारी करने हेतु है जिसे 'सारथी' के नाम में अपर्याप्तताएं तथा से जाना जाता है सहित अप्रैल 2006 से कम्प्यूटरीकरण का आरम्भ किया। हमने पाया केन्द्रीयकृत डाटा का कि:-

अनुरक्षण न करना

'वाहन' एप्लीकेशन में अपर्याप्त एप्लीकेशन नियंत्रण के कारण पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा असंगत तथा अपूर्ण डाटाबेस का अनुरक्षण किया गया तथा केन्द्रीयकृत डाटा का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

31 मार्च 2009 को संग्रहण के लिए लम्बित सांकेतिक कर की बकाया स्थिति विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। 17 नमूना जांचित पंजीयन प्राधिकारियों के पास 7,739 वाहनों के सम्बन्ध में ₹4.82 करोड़ का सांकेतिक कर असंगृहीत पाया गया।

परिवहन बैरियों पर दोषपूर्ण प्रणाली परिवहन बैरियों पर दोषपूर्ण प्रणाली के प्रतिष्ठापन के कारण वैध राष्ट्रीय परमिट के बिना राज्य में प्रवेश करने वाले 89, 805 वाहनों के सम्बन्ध में संयुक्त फीस की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2004 से मई 2009 की अवधि के दौरान ₹22.45 करोड़ की कम वसूली हुई।

हिमाचल पथ परिवहन निगम का बकाया क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपुओं/यूनिटों से विशेष पथ कर के भुगतान के लिए मासिक मांग को प्रस्तुत न करने के कारण परिवहन विभाग हिमाचल पथ परिवहन निगम से वसूली योग्य ₹26.83 करोड़ के विशेष पथ कर से अनभिज्ञ था।

निजी स्टेज कैरिजों का बकाया 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान 190 निजी स्टेज कैरिज मालिकों द्वारा विशेष पथ कर की अदायगी न करने के कारण ₹1.75 करोड़ के बकाया का संचयन हुआ। भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

सिफारिशें सरकार को विचार करना चाहिए:

- एप्लीकेशन में प्रदान किये गये नियंत्रणों/प्रक्रियाओं को नजर अन्दाज न करने के लिए विभाग को अनुदेश जारी करने पर;
- मास्टर टेबल में उपयोक्ता की अनुपलब्धता के लिए कारणों पर;
- मोटर वाहन करों के संग्रहण एवं जमा करने के लिए ऑनलाईन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सर्वर पर प्रभावी केन्द्रीकृत डाटाबेस रखने हेतु;
- सांकेतिक कर की बकाया राशि तथा अवधि जिसके लिये यह देय थी को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान बनाने पर प्रणाली का संशोधन करने हेतु; तथा
- अधिनियमों में वाहन मालिकों द्वारा कर एवं शास्ति का भुगतान न करने पर ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान सम्मिलित करने तथा विशेष पथ कर रजिस्ट्रों का अनुरक्षण करने के लिए अनुदेश जारी करने पर।

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं पावर विभाग

'पावर क्षेत्र परियोजनाओं से प्राप्तियों' की समीक्षा

इक्विटी पर प्रतिफल

वर्ष 2005-06 तथा 2007-08 से 2009-10 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के स्वामित्व में ₹234 करोड़ की इक्विटी पूंजी पर पांच जल विद्युत परियोजनाओं से देय ₹170.42 करोड़ की राशि के इक्विटी पर प्रतिफल का दावा सरकार द्वारा नहीं किया गया।

अपफ्रंट प्रीमियम/प्रभारों का अनियमित जमा करना

2007-08 से 2009-10 के दौरान वसूल किए गए ₹707.69 करोड़ के अपफ्रंट प्रीमियम/प्रभारों को विभाग की आय नहीं माना गया तथा अनियमित रूप से आरक्षित निधि में जमा करवाया गया।

अपफ्रंट प्रीमियम/प्रभारों का दावा न करना

जनवरी 2007 तथा अक्टूबर 2008 के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन को आवंटित छः जल विद्युत परियोजनाओं पर अपफ्रंट प्रीमियम/प्रभारों का दावा न करने के कारण राज्य के राजकोष को ₹196.53 करोड़ के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

पावर नीति के प्रावधानों को लागू न करना

दो जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ निष्पादित अनुपूरक कार्यान्वयन अनुबन्धों में पावर नीति के प्रावधानों को लागू न करने के कारण ₹114 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

अनुश्रवण तथा आन्तरिक नियंत्रण

अनुश्रवण तथा आन्तरिक नियंत्रण के अभाव के कारण पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को अस्वीकार्य छूट दी गई तथा पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया से अधिभार की वसूली न करने के परिणामस्वरूप ₹8.79 करोड़ की हानि हुई।

पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को पावर अंश का अंतरण न करने के कारण राजस्व की हानि सिफारिशें

फरवरी 2006 से मार्च 2007 के दौरान चार जल विद्युत परियोजनाओं से पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को सरकार के पावर अंश का अंतरण न करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹13.92 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

सरकार को विचार करना चाहिए:

- अभिलेखों के अनुरक्षण एवं मांग प्रस्तुत करने हेतु प्रणाली की व्यवस्था करने पर; तथा
- मांग को शीघ्र प्रस्तुत करने और विद्युत बिलों के सम्बन्ध में प्रदत्त राशि की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली की व्यवस्था करने पर।

लेन-देन लेखापरीक्षा के परिणाम

आबकारी एवं कराधान विभाग

बिक्री, व्यापार/वैट आदि पर कर

त्रुटिपूर्ण सांविधिक फार्मों की स्वीकृति के कारण कर का अपवंचन

छः जिलों में 34 व्यापारियों के मामलों में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण सांविधिक फार्मों तथा कर की दर में छूट/रियायत की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹27.54 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

सामग्री लागत की गलत कटौती सात जिलों में विभागीय कार्यों के निष्पादनार्थ 19 ठेकेदारों को विभागों द्वारा आपूरित सामग्री पर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा उनकी सकल बिक्री पर ₹15.34 करोड़ की छूट दिए जाने के कारण ₹2.54 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

निवेश कर क्रेडिट की अधिक अनुमति आनुपातिक आधार के बजाए समस्त ब्रांच अन्तरण पर चार व्यापारियों को ₹169.36 करोड़ के निवेश कर क्रेडिट को अधिक अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹2.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

राज्य आबकारी

सीरे से स्पिरिट का कम उत्पादन एक आसवनी में सीरे से स्पिरिट के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क का ₹1.36 करोड़ का कम संग्रहण हुआ।

वन विभाग

राजस्व की अवसूली/कम वसूली 10 वन मण्डलों में परियोजनाओं/पारेषण लाइनों इत्यादि के संरक्षण क्षेत्र में पड़ने वाले 23,902/6,605 विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों/बाल वृक्षों के मूल्य को प्रभारित न करने/कम प्रभारित करने के परिणामस्वरूप ₹4.69 करोड़ के राजस्व का परित्याग हुआ।

विभागीय प्रभारों का अनुदग्रहण एक वन मण्डल में गैर-वानिकी उद्देश्य हेतु वन भूमि के विचलन के दो मामलों में ₹40.52 लाख के विभागीय प्रभारों को उपयोक्ता अभिकरणों से वसूल नहीं किया गया।

रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुदग्रहण 10 वन मण्डलों में दोहनार्थ सौंपे गए 107 वृक्ष समूहों के सम्बन्ध में ₹7.40 करोड़ की रॉयल्टी हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा विलम्ब से अदायगी की गई जिसके ऊपर ₹87.12 लाख के ब्याज का विभाग द्वारा उदग्रहण नहीं किया गया।

अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

राजस्व विभाग

सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण 25 उप-पंजीयक कार्यालयों में सम्पत्ति के बाजार मूल्य के कम निर्धारण तथा गलत परता तैयार करने के परिणामस्वरूप 292 मामलों में ₹1.18 करोड़ के स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा निम्न निष्पादन समीक्षाओं का सामान्य विहंगावलोकन सम्मिलित है:

- (i) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत उत्पादन कार्यकलाप; तथा
- (ii) हिमाचल प्रदेश वित्त निगम में ऋण अनुश्रवण प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा।

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई पर परिच्छेद सहित 11 परिच्छेद भी सम्मिलित हैं।

मुख्य-मुख्य बातें:

- सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते हैं। इन लेखों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बन्धित कानून के द्वारा शासित की जाती है। 31 मार्च 2010 को हिमाचल प्रदेश राज्य के 21 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (18 कम्पनियां एवं तीन सांविधिक निगम) तथा तीन अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सभी कम्पनियां) थे, जिनमें 38,043 कर्मचारी कार्यरत थे। अपने नवीनतम लेखाओं के अनुसार 2009-10 के लिए क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹4,642.23 करोड़ की आय दर्ज की। यह आय राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 10.98 प्रतिशत के बराबर थी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। तथापि, 2009-10 में क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹21.95 करोड़ की समग्र हानि उठाई तथा ₹760.34 करोड़ की हानियां संचित हुईं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

- 31 मार्च 2010 को 24 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹4,620.83 करोड़ का निवेश (पूंजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) था जो 2004-05 में ₹4,938.28 करोड़ से 6 प्रतिशत तक घट गया। 2009-10 में विद्युत क्षेत्र ने कुल निवेश का लगभग 74 प्रतिशत लेखाबद्ध किया। 2009-10 के दौरान सरकार ने इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/उपदान के प्रति ₹661.38 करोड़ का अंशदान दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

- वर्ष 2009-10 के दौरान 21 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से सात ने ₹37.28 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹59.23 करोड़ की हानि वहन की। चार क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने वाणिज्यिक गतिविधियां आरम्भ नहीं की थी तथा एक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सम्बन्ध में आय से अधिक व्यय राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य था। लाभ में मुख्य अंशदाता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (₹32.31 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (₹2.87 करोड़) थे। हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹37.50 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (₹6.75 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित (₹6.21 करोड़) द्वारा भारी हानियां वहन की। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों में विभिन्न

कमियों से हानियां बताई गई थी। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ₹ 1,004.88 करोड़ की हानियां तथा ₹ 6.87 करोड़ का निष्फल निवेश बेहतर प्रबन्धन के साथ नियंत्रणयोग्य था। इस प्रकार, कार्यकलापों तथा हानियों को न्यूनतम/दूर करने में सुधार की अत्यधिक सम्भावना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तभी अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक निभा सकते हैं यदि वे वित्तीय रूप से स्वावलम्बी हों। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों में व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्व की आवश्यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2010 के दौरान अंतिम रूप दिए गए क्रियाशील कम्पनियों के 20 लेखाओं में से बारह लेखों ने योग्य प्रमाणपत्र प्राप्त किए तथा आठ लेखों ने प्रतिकूल प्रमाणपत्र प्राप्त किए। लेखांकन मानकों की अनुपालना न करने के 56 दृष्टांत थे। अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2010 के दौरान अंतिम रूप दिए गए सांविधिक निगमों के दो लेखाओं में से केवल एक लेखे की लेखापरीक्षा पूर्ण की गई थी तथा इसने योग्य प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया। कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में कई कमजोर क्षेत्रों को दर्शाया गया।

लेखाओं में बकाया तथा बन्द करना

- सितम्बर 2010 तक बारह क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 14 लेखे बकाया थे। बकायों को प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लक्ष्यों को निर्धारित करने के द्वारा निपटाने की आवश्यकता है। तीन अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। क्योंकि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विद्यमानता से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, सरकार को अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शीघ्र बन्द करने की आवश्यकता है।

सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के 'विद्युत उत्पादन कार्यकलाप' तथा हिमाचल प्रदेश वित्त निगम में 'ऋण अनुश्रवण प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा' से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं की गईं। लेखापरीक्षा परिणामों का कार्यकारी सारांश नीचे दिया गया है:

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत उत्पादन कार्यकलाप

विद्युत जीवन के सभी पहलुओं के लिए आवश्यक जरूरत है तथा बुनियादी मानव आवश्यकता के रूप में मानी गई है। 2005-06 से विद्युत मांग में असाधारण वृद्धि को देखते हुए 2009-10 के अंत तक 122.61 मेगावाट की कमी को छोड़कर आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि पर्याप्त नहीं थी। वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य के लिए कुल 8500.87 मिलियन यूनिटों की आवश्यकता में से बोर्ड ने केवल 20.06 प्रतिशत, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ने

20.47 प्रतिशत का उत्पादन किया तथा शेष 59.47 प्रतिशत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अंशदान दिया गया। प्रचालन में दक्षता, ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति की क्षमता, लक्ष्यों की क्षमता वृद्धि हेतु प्राप्ति, परियोजनाओं का निष्पादन और बोर्ड मामलों के अनुश्रवण में उच्च प्रबंधन की प्रभावपूर्णता का निर्धारण करने के लिए 2005-06 से 2009-10 की अवधि हेतु बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

योजना एवं परियोजना प्रबंधन

राज्य की कुल प्रतिस्थापित क्षमता 1 अप्रैल 2005 को 1034.17 मेगावाट से बढ़कर 31 मार्च 2010 तक 1285.49 मेगावाट हो गई। 2005-10 के दौरान वास्तविक क्षमता वृद्धि 251.32 मेगावाट थी। लारजी, भाबा संवर्धन परियोजना, खौली तथा घानवी चरण II परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्रमशः 125, 54, 41 तथा 36 महीनों का अधिक समय लिया गया। समन्वय के अभाव, परियोजना आरम्भ करने में विलम्ब, परिरूपों में परिवर्तन, अवास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन को बनाना, कार्यों का उच्चतर दरों पर सौंपना तथा अत्यधिक निवेशों/निर्माण के दौरान ब्याज की बुकिंग के कारण दो पूर्ण (लारजी व खौली) तथा एक चल रही परियोजना (भाबा संवर्धन परियोजना) के मामले में लागत ₹1209.16 करोड़ बढ़ी, इसके अतिरिक्त सिविल एवं विद्युत अभियांत्रिक कार्यों के निर्माण कार्यकलाप बेमेल रहे। परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब तथा विद्युत की कम उपलब्धता के कारण राज्य को गैर-अनुसूचित अन्तर्विनिमय के अंतर्गत 4.15 मिलियन यूनिटों तथा 262.95 मिलियन यूनिटों के मध्य विद्युत खरीद करनी पड़ी थी जो निजी उत्पादन लागत की तुलना में महंगी थी। इसके अतिरिक्त 27.01 मिलियन यूनिटों तथा 178.63 मिलियन यूनिटों के मध्य विद्युत कटौती भी लगाई गई।

जनशक्ति प्रबंधन

बोर्ड ने अपने विद्युत गृहों के परिचालनार्थ जनशक्ति की तैनाती हेतु मानकों को निर्धारित नहीं किया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानकों से अधिक जनशक्ति की तैनाती के कारण ₹111.51 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, परिणामतः दस विद्युत गृहों की प्रति यूनिट कर्मचारी लागत प्रति यूनिट उत्पादन लागत 50 प्रतिशत से अधिक थी।

उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति

बोर्ड ने अपनी परियोजनाओं की निर्दिष्ट सम्भाव्यताओं के अनुसार उत्पादन लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया है। 10,983.39 मिलियन यूनिटों की निर्दिष्ट सम्भाव्यता के प्रति समीक्षा अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन 8508.99 मिलियन यूनिट था जो केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित 85 प्रतिशत के मानकों के प्रति 42.55 तथा 50.73 प्रतिशत के मध्य रहने वाले कम संयंत्र लोड फैक्टर के कारण था किन्तु राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्चतर था। इसके अतिरिक्त आयोजित तथा अनिवार्य अनुपयोगकाल ने बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 10 प्रतिशत मानकों के प्रति अनिवार्य अनुपयोगकाल 2005-06 में 40.71 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 43.32 प्रतिशत हो गया।

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण

बस्सी विद्युत गृह के आधुनिकीकरण, उन्नयन तथा लाइफ एक्सटेंशन हेतु स्वीकृत नवीकरण स्कीम निधियों की व्यवस्था करने में विलम्ब और निविदाओं को अंतिम रूप देने में लिए गए अधिक समय के कारण अभी तक पूर्ण नहीं की गई थी। इसके कारण ₹77.61 करोड़ की लागत वृद्धि के अतिरिक्त 17.52 मिलियन यूनिटों की प्रतिवर्ष उत्पादन हानि हुई।

टैरिफ निर्धारण

व्यय के पूंजीकरण न करने/कम करने तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सम्मुख विभिन्न परियोजनाओं की उच्चतर लागत को न्यायोचित ठहराने की बोर्ड की विफलता के कारण बोर्ड समीक्षा अवधि के दौरान टैरिफ के माध्यम से ₹44.06 करोड़ की वसूली नहीं कर पाया।

पर्यावरण मामले

बोर्ड ने इसके पांच संयंत्रों के पंजीकरण हेतु कोई पहल नहीं की जिन्होंने इन परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कार्बन उत्सर्जन कटौती क्रेडिटों का विक्रय करने के लिए निर्दिष्ट राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ 1 जनवरी 2000 के पश्चात् वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ किया था।

अपर्याप्त अनुश्रवण

बोर्ड ने जल की उपलब्धता, संयंत्रों के परिचालन घण्टों की उपलब्धता तथा उत्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए संयंत्र आऊटएजिज के पूर्वानुमान लगाने के लिए तंत्र विकसित नहीं किया। परिचालन निष्पादन एवं प्रत्येक उत्पादन यूनिट की दक्षता की समीक्षा करने के लिए कोई यंत्र-रचना विद्यमान नहीं थी ताकि परियोजनाओं की दक्षता के सुधार हेतु समय पर कार्रवाई की जा सके।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

बोर्ड की परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं की गईं जिसके परिणामस्वरूप समय व लागत में वृद्धि हुई। बहुत से संयंत्रों का परिचालन कम संयंत्र लोड फैक्टर तथा कम क्षमता पर किया जा रहा है। भारत सरकार से उपदान दावों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण अधिकतम स्तर को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की अप्रयुक्ति हुई।

विद्युत गृहों का निष्पादन तथा परिचालन निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड में उपयुक्त प्रबन्धन सूचना तंत्र विद्यमान नहीं था।

समय एवं लागत वृद्धि को रोकने हेतु चल रही परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित की जानी चाहिए। कम संयंत्र लोड फैक्टर तथा मशीनों की कम उपलब्धता के कारणों का शीघ्र निराकरण किये जाने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण पैरामीटरों पर डाटा संकलन व मिलान करने हेतु प्रबन्धन सूचना तंत्र के आगे विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश वित्त निगम में ऋण अनुश्रवण प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश वित्त निगम लघु तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों को आवधिक ऋण प्रदान करता है। निगम ने अपने प्रारम्भ होने से लेकर 31 मार्च 2010 तक 4,518 इकाइयों को ₹727 करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया है। निगम में कार्यान्वित कम्प्यूटरीकृत ऋण लेखाकरण प्रणाली के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की समीक्षा की गई।

कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य

वित्तीय लेखाकरण प्रणाली से ऋण लेखाकरण प्रणाली को लेन-देन आंकड़ों का स्वचालित प्रवाह करने, ऋण खाता बहियों तथा सम्बन्धित प्रतिवेदनों को बनाने के लिए एकीकृत प्रणाली विकसित की गई।

उद्देश्यों को प्राप्त न करना

इस प्रणाली का ऋण लेखाकरण खाता बहियों तथा अन्य सम्बन्धित प्रतिवेदनों को बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है क्योंकि कम्प्यूटर से निकाले गए ये आंकड़े सही शेष नहीं बताते हैं। इसके अतिरिक्त प्रणाली से ब्याज की गणना स्वचालित रूप से नहीं की जा सकती है। परिणामतः ऋण खाता बहियों का हस्त रूप से अनुरक्षण करना पड़ता है।

सामान्य नियंत्रण

निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, संकेत शब्दों, कार्यों के पृथक्करण आदि हेतु कोई सूचना प्रौद्योगिकी नीति नहीं बनाई है, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त शारीरिक पहुंच एवं पर्यावरण नियंत्रणों, अपर्याप्त नेटवर्क सुरक्षा नियंत्रणों तथा अपर्याप्त तर्कपूर्ण उपयोग नियंत्रणों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन बैंकअप के लिए कोई प्रणाली नहीं है।

एप्लीकेशन नियंत्रण

लेखे मॉड्यूल

अपर्याप्त इनपुट तथा प्रक्रियात्मक नियंत्रणों के कारण यह प्रणाली निरर्थक है, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण तथा अस्पष्ट डाटा तैयार होता है।

वाऊचर मॉड्यूल

प्रणाली सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए क्रमानुसार वाऊचर संख्या निर्दिष्ट नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली से रसीदें निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अतः रसीदें हाथ से जारी की जा रही हैं। अपर्याप्त नियंत्रणों के कारण डूप्लीकेट रसीद संख्याएं स्वीकार की जा रही हैं।

निर्गम नियंत्रण

प्रबंधन सूचना पद्धति चूक

प्रबन्धन स्तर पर संस्थापित कम्प्यूटरों को ऋण अनुश्रवण पद्धति के साथ संयोजित नहीं किया गया है।

निष्कर्ष तथा सिफारिशें

एप्लीकेशन की उपयोगिता केवल ब्याज की गणना करने तथा मांग नोटिस निकालने तक सीमित है। गलत, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण डाटा के कारण वार्षिक विवरणियां निकालने तथा प्रभावशाली प्रबंधन सूचना पद्धति हेतु प्रणाली निरर्थक हो गई है। निगम को ऋण लेखाकरण खाता बहियों को तैयार करने के लिए प्रणाली की कमियों को दूर करना चाहिए। डाटा का पूर्ण रूप से अभिग्रहण किया जाए ताकि प्रणाली के माध्यम से तैयार किए गए प्रतिवेदन प्रबंधन सूचना पद्धति, तुलनपत्र के साथ संलग्न प्रतिवेदनों तथा अन्य प्रतिवेदनों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकें। कारोबार की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन बैंकअप प्रणाली प्रयोग की जानी चाहिए। गुणवत्ता नीति के अनुसार निगम ग्राहकों को ऑनलाइन सूचना प्रदान करें जिसके माध्यम से ग्राहक बैंक पर अपनी ऋण की स्थिति को देख सकें।

लेन-देन से सम्बन्धित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन-देन से सम्बन्धित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में कमियों को उजागर करती हैं जिसके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय समस्याएं आईं। इंगित की गई अनियमितताएं मोटे तौर पर निम्न प्रवृत्ति की हैं:

- नियमों, दिशासूचकों, प्रक्रिया एवं संविदाओं की शर्तों की अनुपालना न करने के कारण पांच मामलों में ₹15.60 करोड़ की हानि।

(परिच्छेद 3.2, 3.3, 3.5, 3.8 तथा 3.9)

- अविवेकी निर्णय के कारण एक मामले में ₹0.48 करोड़ की हानि।

(परिच्छेद 3.6)

- अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण के कारण चार मामलों में ₹4.55 करोड़ की हानि।

(परिच्छेद 3.1, 3.4, 3.7 तथा 3.10)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्यक्तियों का सारांश निम्नांकित है:

- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित ऋण की चुकौती के लिए उपलब्ध विकल्प का समय पर प्रयोग करने में विफल रहा जिसके कारण उच्चतर दर पर ब्याज का परिहार्य भुगतान करने पर ₹0.98 करोड़ की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.1)

- ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित को संविदाकार पर आरोपित ₹6.96 करोड़ की शास्ति की वसूली करने में विफलता तथा ₹1.22 करोड़ की अस्वीकार्य मूल्य वृद्धि का भुगतान करने के कारण ₹8.18 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

(परिच्छेद 3.3)

- हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधान के अनुसार इमारती लकड़ी की बिक्री पर छूट/रोकड़ छूट की कटौती करने में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित की विफलता के परिणामस्वरूप ₹2.31 करोड़ की राशि के मूल्य वर्धित कर का परिहार्य भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.4)

- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के निरूत्साह दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप निजी पार्टी से परियोजना के कार्य के सर्वेक्षण एवं जांच-पड़ताल पर किये गये व्यय की वसूली न करने के कारण ₹1.63 करोड़ की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.5)

- वास्तविक आधार पर करों एवं शुल्कों के भुगतान हेतु प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मानक धारा शामिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की विफलता से आपूर्तिकर्ताओं को बाद में आबकारी शुल्क की दरों में कमी से ₹1.51 करोड़ का अतिरिक्त लाभ हुआ।

(परिच्छेद 3.8)

- विद्युत फैक्टर मूल्य को 0.85 से 0.90 तक बढ़ाने के पश्चात् दो बड़े आपूर्ति उपभोक्ताओं द्वारा संविदा मांग का संशोधन न करने का पता लगाने में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की विफलता के फलस्वरूप ₹0.98 करोड़ की राशि के संविदा मांग उल्लंघन प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.10)